

निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0न0 170/अपील/20



राधेश्याम पुत्र पन्नालाल लोधा नि0 उम्मेदपुरा तहसील बकानी(अपीलान्ट)  
बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बकानी

(रेस्प00)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 16.09.2020 न्यायालय तहसीलदार बकानी  
मि0न0 500/20

उपस्थित:- श्री शिवलाल लोधा, अभिभाषक अपीलान्ट्स  
पेरोकार सरकार

-: निर्णय :-

दिनांक: 25.01.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 16.09.2020 जो मिसल न0 500/20 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम उम्मेदपुरा तहसील बकानी की आराजी ख0न0 434 की 0.10 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 90 दिवस का सिविल कारावास व 29/- रुपये शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत एवं सार सग्रह होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को सेकण्ड ट्रेस पास मानकर भूल की है, प्रार्थी को वैधानिक नोटिस नहीं दिया गया है और सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर एक तरफा कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना जमा कर दिया गया है वर्तमान में भूमि पड़त पड़ी हुई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प00 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने आराजी पर से कब्जा हटा लिया है पेनल्टी की राशि जमा करवादी है। अपीलान्ट उक्त आराजी पर से कब्जा हटा कर इस बाबत शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण कर गांव के पशुओं को चरने से वंचित रखा गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल न0 1318 निर्णय दिनांक 04.10.2019 से आराजी से बेदखल कर 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था, इस प्रकार अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आराजी पर से कब्जा हटा लेने बाबत रिपोर्ट संलग्न की गई है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील बकानी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के कब्जे की जांच कर सुनवाई पश्चात पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकनील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)  
जिला कलक्टर  
झालावाड़